छ०ग० राज्य विरूद्ध अजय यादव

(CIS R.N.- 2172/2022)

Witnees No. 02 For अभियोजन साक्ष्य Deposition taken

The 23.01.2026 day of शुक्रवार Witness's apparent age 42 वर्ष

States on affirmation शपथ पूर्वक My name is कुमार वर्मा

Son/of श्री हिरामन वर्मा Occupation किसानी

Address मोहारा, पुलिस चौकी मोहारा, जिला–राजनांदगांव (छ०ग०)

समय 01.17 बजे

मुख्य परीक्षण द्वारा ए डी पी ओ श्री रंजीत तिर्की –

1. साक्षी को अनुपस्थित आरोपी अजय यादव के गिरफ्तारी पत्रक में चस्पा फोटो को दिखाये जाने पर पहचानने से इंकार किया । आरोपी मेरे सामने आएगा तो भी नहीं पहचान पाउंगा । मुझे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किया है। साक्षी को धारा 160 दं०प्र०सं० नोटिस **प्र०पी०–1**, मुखबीर सूचना पंचनामा **प्र.पी. 02**, बरामदगी पंचनामा **प्र.पी. 03**, धारा 91 जा.फौ. का नोटिस **प्र.पी. 04**, संपत्ति जप्ती पत्रक **प्र०पी०–5**, सैम्पल पंचनामा **प्र.पी. 06**, गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी०–7** दिखाये जाने पर ब से ब एवं नजरी नक्शा **प्र.पी. 9** दिखाये जाने पर अ से अ ग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। मैने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है ।

नोट– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी की ओर से साक्षी को अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करने के कारण पक्षद्रोही घोषित कर सूचक स्वरुप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही । प्रकरण के अवलोकन पश्चात अनुमति दी गयी ।

2. यह कहना गलत है कि पुलिस ने मुझे गवाह बनने हेतु धारा 160 दं०प्र०सं० की नोटिस दिया था । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया था । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष स्कूटी क्रमांक सीजी 07 बीएस 8821 में एक थैली में

रखा 33 पौवा देशी प्लेन शराब को बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया था । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष आरोपी को बरामदशुदा शराब के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत् धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया था । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष आरोपी के कब्जे से एक थैली में रखा 33 पौवा देशी प्लेन शराब एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी क्रमांक सीजी 07 बीएस 8821 को तथा उक्त वाहन का खरीदी बिक्री रसीद को जप्त किया था । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष आरोपी के कब्जे से जप्तशुदा शराब में से 10 पौवा शराब को परीक्षण हेतु पृथक कर सैम्पल पंचनामा तैयार किया था । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था । यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था । साक्षी को उसके पुलिस कथन **प्र०पी०-10** के अ से अ भाग के अंश को पढकर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को उक्त बयान देने से इंकार किया । यह कहना गलत है कि आरोपी से मिल गया हूॅं, इसलिए उसे बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हूॅं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कमलाकर सिंह अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

3. यह कहना सही है कि जिन दस्तावेजों में मेरे हस्ताक्षर है, उन दस्तावेजों को मैं पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिस वाले पढ़कर सुनाये थे । पुलिस वाले जहां-जहां हस्ताक्षर करने बोले मैंने हस्ताक्षर कर दिया । यह कहना सही है कि जिस वक्त मैं उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा था, उस समय आरोपी वहां उपस्थित नहीं थें ।

समय 01.25 बजे तक

उपरोक्त कथन गवाह की उभयपक्ष की उपस्थिति में
पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर सत्य लिखित स्वीकार होना किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/-	सही/-
(श्रीमती दीप्ति लकड़ा)	(श्रीमती दीप्ति लकड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़ (छ०ग०)	डोंगरगढ़ (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर . . . .